अनुसूची-I

(विनियम 8 देखें)

उन क्षेत्रों की सूची जिनके लिए शेयरों की अदला-बदली (स्वैप)
अथवा विनिमय की सुविधा उपलब्ध है

1. सूचना प्रौद्योगिकी और मनोरंजन संबंधी साफ्टवेयर
2. फ़ार्मास्युटिकल क्षेत्र
3. बायोटेक्नॉलॉजी

अनुबंध

फार्म ओडीआइ भरने के लिए अनुदेश

(आवेदन इस फार्म को निकाल कर अपने पास रख लें)

(1) सब तरह से पूरा किया हुआ आवेदन निम्नलिखित दस्तावेज के साथ तीन सेटों में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुद्रा नियंत्रण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी निवेश प्रभाग (ओआयडी), अमर बिल्डिंग, मुंबई-400 001को अवश्य प्रस्तुत किया जाए :

(क) ड्राफ्ट संयुक्त उद्यम करार अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के मामले में संस्था का ज्ञापन और अंतर्नियमावली जिसमें ईक्विटी की संरचना, प्रबंध, शेयरधारकों के अधिकारी और उत्तरदायित्वों तथा तकनीकी जानकारी, प्रबंधन तथा अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए ड्राफ्ट करार यदि लागं हो, का भी उल्लेख किया जाए ।

(ख) विदेशी प्रतिष्ठान की एक विस्तृत परियोजना / संभाव्यता रिपोर्ट आवेदन / रिपोर्ट में दी जाए जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुमानित निधि प्रवाह का विवरण तथा पांच वर्ष का तुलन-पत्र विभिन्न नियंत्रणों से संबंधित सूचना और ईक्विटी अनुपात, ऋण चुकौती कवरेज अनुपात जैसे लाभ प्रदत्त अनुपात, आदि के संबंध में निवेशों के संबंध में विरिणी के साथ-साथ अनुपातों और अनुमानित राशियों को किसी सनदी लेखाकार से प्रमाणित किया जानेवाला विवरण दिया गया हो ।

(ग) सील किये हुए / बंद लिफाफे में भारतीय पार्टी के बैंकरों से एक रिपेर्ट ।

(घ) अद्यतन वार्षिक लेखा, अर्थात् भारतीय पार्टी के बैंकरों से एक रिपोर्ट के साथ-साथ तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा ।

(टं) निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज बशर्ते आवेदन वर्तमान विदेशी प्रतिष्ठान के आंशिक / पूर्ण अधिगहण के लिए किया गया हो :

(i) विदेशी प्रतिष्ठान के निगमन के प्रमाण-पत्र की एक प्रति ;

(ii) अद्यतन वार्षिक लेखा विदेशी प्रतिष्ठान के निदेशक-रिपोर्ट के साथ-साथ अर्थात् तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा ; और

(iii) सनदी लेखाकार / लेखा -परीक्षक फर्म से शेयर मुल्यांकन प्रमाण-पत्र की एक प्रति

(र्ि) भारतीय पार्टी / पार्टियों के निदेशक मंडल के संकल्प की एक प्रति जिसमें प्रस्तावित निवेश को अनुमोदित किया गया हो ।

(छ) यदि यह निवेश वित्तीय सेवा क्षेत्र में हो, तो सनदी लेखाकार / लेखा-फर्म से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि भारतीय पार्टी ने :

(i) पिछले तीन वर्ष के दौरान वित्तीय सेवा कार्य से निवल लाभ प्राप्त किया है ;

(ii) यह भारतीय पार्टी उपयुक्त विनियामक प्राधिकरण के यहां पंजीकृत है ;

(iii) इसके पास पिछले लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख तक 15 करोड़ रुपये से अनधिक का कम-से-कम निवल संपत्ति (प्रदत्त पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधियां) है ; और

(iv) इसने भारत में संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धरित पूंजी पर्याप्ता से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड पूरे कर लिये हैं ।

2. यदि संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था का प्रर्वतक एक से अधिक हो, तो सभी प्रवर्तकों की ओर से केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

3.(क) यदि कोई भारतीय पार्टी बोली लगाकर /निविदा प्रक्रिया (किसी बयाने की जमाराशि (ईएमडी) के विप्रेषण सहित /रहित)/बोली बांड गारंटी जारी करके) के माध्यम से विदेशी प्रतिष्ठान के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन मांगती है,तो भारतीय पार्टी निम्नलिखित कागजात के साथ विदेशी प्राधिकार को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से कम-से-कम एक महीना पहले रिज़र्व बैंक को संपर्क करना चाहिए :

(i) फार्म ओडीआइ में, जहां तक लागू हो , आवेदन-पत्र ;

(ii) बोली की शर्तों के प्रमाणित संगत उद्धरण ;

(iii) सनदी लंखाकार का प्रमाण पत्र जिसमें अभिग्रहण मूल्य, जहां लागू हो , को उचित ठहराते हुए विदेशी प्रतिष्ठान के शेयरों तथा परिसंपत्तियों के मूल्यांकन का उल्लेख हो ; और

(iv) परियोजना / संभाव्यता रिपोर्ट ।

(ख) उन मामलों में जहां भारतीय पार्टी बोली जीत गयी हो किंतु रिज़र्व बैंक को पहले प्रस्तुत की गई शर्तों से अधिग्रहण की शर्तें भिन्न हों, तो भारतीय पार्टी को लेन-देन शुरु करने से पहले पूर्व अनुमोदन के लिए ओडीआइ फार्म में रिज़र्व बैंक को पुनः आवेदन करना चाहिए ।

ओडीबी फार्म भरने के लिए अनुदेश

1. सब तरह से पूरा किया हुआ फार्म तीन प्रतियों में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी निवेश प्रभाग, अमर भवन, मुंबई-400001 के पास भेजा जाना चाहिए।

2. विदेशी मुद्रा के लिए, स्विफट कूट का प्रयोग किया जाए।

3. आवेदन के साथ सनदी लेखाकार का एक बयान यह प्रमाणित करते हुए होना चाहिए कि पिछले तीन वित्तीय वर्ष में आवेदक कंपनी के औसत पण्यावर्त का कम-से-कम 80 प्रतिशत विनिर्दिष्ट गतिविधियों/क्षेत्रों से है (जैसे कि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं मनोरंजन सॉफटवेयर, औषधीय एवं जैवप्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्र जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा) अथवा इन गतिविधियों/क्षेत्रों से पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान आवेदक कंपनी की वार्षिक निर्यात आय कम-से-कम 100 करोड़ रुपये रही हैं।

4. यदि कोई विशेष अधिग्रहण सौदा किया गया हो. तो अधिग्रहण की जा रही विदेशी कंपनी के नाम, पिछले तीन वर्ष के दौरान उसके निष्पादन, शेयर विनिमय अनुपात, अधिग्रहण मूल्य, निवेश बैंकर से मूल्यांकन रिपोर्ट तथा अधिग्रहण करनेवाली कंपनी के अनुमानित लाभ-सहित, उसका विवरण भी अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाना चिंहिए।

5. एक संक्षिप्त आलेख, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी अधिग्रहण की अनंतिम कारबार-योजना, ऐसी विदेशी कंपनियां किस देश में हैं और उनके कार्यकलाप का स्वरूप तथा वित्तीय एवं परिचालजन्य विवरण, अधिग्रहण मूल्य का मोटा अनुमान तथा ऐसे अनुमान का आधार, आवेदन कंपनी को होनेवाले संभावित फायदे, जैसे - परिचालनों में अनुरुपता, लाभांश एवं उनका पूंजी प्रवाह, प्रौद्योगिकी की जानकारी वृद्धिशील निर्यात, आदि दिये गये हों, इस फार्म के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। दी गयी जानकारी को गोपनीय रखा जायेगा।